Serial No. 107/2011

Eastern Railway

No. E. 886/0/Vol. VIII

Kolkata dated 07/10/2011

All Concerned

Sub : Retention of Railway quarter at the previous place of posting by Railway employees posted to Northeast Frontier Railway.

The following copy of Railway Board's letter No. E(G)2008/QR1-9 dated 20/09/2011 (RBE NO. 125/2011) is appended for information, guidance and necessary action.

07-10-11

(G. Bandyopadhyay)
for Chief Personnel Officer

Copy of Railway Board's letter No. E(G)2008/QR1-9 dated 20/09/2011 (RBE NO. 125/2011) addressed to General Managers, All Indian Railways and others

Sub : Retention of Railway quarter at the previous place of posting by Railway employees posted to Northeast Frontier Railway.

Ref : Board's letter No. E(G)2005 QR1-3 dated 12.09.05, E(G)2008/ QR-1/9 dated 01.10.08 & 11.08.09.

Instructions governing retention of Railway accommodation in favour of Railway employees transferred and posted to N.F. Railway have been issued from time to time. The existing orders on the subject are valid up to 30.06.2011. The question of further extension of these orders beyond 30.06.2011 has been considered and it has now been decided with the approval of Competent Authority to extend these orders for a further period of three years i.e. up to 30.06.2014 or till revised orders on the subject are issued, which ever earlier.

Since the retention of quarter at the previous place of posting in favour of the officers who have been transferred and posted to N.F. Railway is allowed for bonafide use of the dependent family of transferred Railway servant, he/she will furnish certificate on 1st July and 1st January of every year, stating that his/her dependent family members are actually residing in the Railway quarter at the last station of his/her posting. Such a certificate will also have to be furnished at the time of seeking retention.

In case no such certificate is received by 31st January and 31st July every year, the quarter controlling authority will be constrained to cancel the allotment of the quarter in question.

The request for retention of entitled type of accommodation should be received within a period of one month from the date of relinquishing the charge at the last station of posting, so that further necessary action will be initiated by the quarter controlling authority in time.

This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Index No. 1062: Railway employees transferred and posted to N.F. Railway will be allowed to retain Railway quarters at their previous place of posting upto 30.06.2014 subject to their submission of certificate on 1st July and 1st January every year that those quarters are uitilised for bonafide use of their dependent families.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 25/2011

सं. ई (जी) 2008 क्यू आर 1-9

नई दिल्ली, दिनांक 20.09.2011

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां एवं अन्य।

विषय: पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर तैनात रेल कर्मचारियों द्वारा तैनाती के पूर्व स्थान पर रेलवे क्वार्टर अपने पास रखना।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 12.09.2005 का पत्र सं. ई(जी) 2005 क्यू आर 1-3, दिनांक 01.10.2008 एवं 1.08.2009 का पत्र सं. ई (जी) 2008 क्यू आर 1/9.

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर स्थानांतरित और तैनात रेल कर्मचारियों के पक्ष में रेलवे आवास अपने पास रखने को शासित करने संबंधी अनुदेश समय-समय पर जारी किए गए हैं। इस विषय के संबंध में मौजूदा अनुदेश 30.06.2011 तक मान्य हैं। इन आदेशों को 30.06.2011 से और आगे बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया गया है और अब सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह विनिश्चय किया गया है कि इन आदेशों को 30.06.2014 तक अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए या इस संबंध में संशोधित आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाए।

चूंकि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर स्थानांतरित और तैनात किए गए अधिकारियों के पक्ष में तैनाती के पूर्व स्थान पर क्वार्टर को अपने पास रखने की अनुमति स्थानांतरित रेल कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदाशयी उपयोग के लिए ही दी जाती है, इसलिए उन्हें प्रत्येक वर्ष की 1 जुलाई और 1 जनवरी को यह उल्लेख करते हुए एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके परिवार के आश्रित सदस्य, उसकी तैनाती के अंतिम स्टेशन पर रेलवे क्वार्टर में वास्तविक रूप से रह रहे हैं। इस प्रकार का प्रमाण-पत्र क्वार्टर को अपने पास रखने की अनुमति प्राप्त करते समय भी प्रस्तुत किया जाना होगा।

यदि ऐसा प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष क्रमशः 31 जनवरी और 31 जुलाई तक प्राप्त नहीं होता है तो क्वार्टर नियंत्रण प्राधिकारी प्रश्नगत क्वार्टर के आबंटन को निरस्त कर सकता है।

पात्र आवास को अपने पास रखने के संबंध में अनुरोध तैनाती के अंतिम स्टेशन पर कार्यभार छोड़ने की तारीख से एक माह के भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए ताकि क्वार्टर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा आगे की आवश्यक कार्रवाई समय पर की जा सके।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कृपया पावती दें।

(मदन लाल)
संयुक्त निदेशक, स्था.(सा.)
रेलवे बोर्ड.